

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2507

10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: केरल में एमएसपी योजना

2507. श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार केरल राज्य के अनुसंधानानुसार केरल के इलायची, काली मिर्च, रबर और चाय उत्पादक किसानों की समस्याओं के निवारण हेतु कार्रवाई करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का विचार इलायची, काली मिर्च, रबर और चाय को एमएसपी स्कीम अंतर्गत लाने हेतु कार्रवाई करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;
- (ग) क्या सरकार ने कीमतों में गिरावट के कारण केरल के इलायची, काली मिर्च, रबर और चाय उत्पादक किसानों के सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में कोई अध्ययन कराया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत शामिल करने हेतु मापदंड निर्धारित किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने उपरोक्त के संदर्भ में केरल सरकार के पत्र पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों और संबंधित राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों के आधार पर 22 अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

समय-समय पर, केरल सहित राज्य सरकारों से एमएसपी के तहत फसलों को शामिल करने के संबंध में सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। तथापि एमएसपी संरचना के तहत फसलों को शामिल करना कई कारकों, जिसमें अन्यो के साथ-साथ अपेक्षाकृत लंबी शेल्फ लाइफ, गैर-नाशवान प्रकृति, व्यापक रूप से उगाई जाने वाली, बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तु, खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक इत्यादि शामिल हैं, पर निर्भर है।

सरकार विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से रबर, चाय, कॉफी, इलायची और काली मिर्च जैसी फसलों को प्राप्ताहित कर रही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन फलों, मसालों आदि जैसी पौधरोपण फसलों की खेती सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। यह मिशन किसानों को बागों और पौधरोपण की स्थापना और बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि, फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड और मसाला बोर्ड जैसे सांविधिक बोर्ड इन जिन्सों के उत्पादन, विकास, विपणन और समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए उत्तरदायी हैं। वर्तमान में, रबर, चाय, कॉफी, इलायची और काली मिर्च को एमएसपी व्यवस्था के तहत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
